

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 295]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 जुलाई 2014—आषाढ़ 24, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2014

क्र. एफ ए 1-8-2014-एक(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 में,—

(1) विद्यमान शीर्षक “अठारह” तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“अठारह —नगरीय विकास एवं पर्यावरण”.

(2) अनुक्रमांक “बत्तीस—आवास और पर्यावरण” का लोप किया जाए,

2. अनुसूची में,—

(1) विद्यमान शीर्षक “अठारह—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग” तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“अठारह—नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग”

- (2) शीर्षक “अठारह—नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग” के अधीन,
 (एक) भाग (अ) में, शीर्षक—विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अधीन अनुक्रमांक 1 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“1-क. मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 34 सन् 1984) के क्रियान्वयन, जिसमें पट्टे के दस्तावेजों के वितरण विभिन्न अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित की जा रही गंदी बस्ती उन्मूलन तथा सुधार योजनाओं का परिवीक्षण, नगरीय महायोजनाओं और उससे संबंधित किन्हीं अन्य क्रियाकलापों में पारिणामिक संशोधन सम्मिलित है, को छोड़कर विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय.”

भाग एक—पर्यावरण

1. राज्य पर्यावरण नीति तथा पर्यावरणात्मक योजना, रक्षोपायों, संरक्षण और समन्वित विकास से संबंधित सभी विषय.
2. नगर तथा ग्राम निवेश.
3. वास्तुकला.
4. सभी प्रकार के प्रदूषण तथा उनका निवारण.
5. नगरीय विकास, गंदी बस्ती उन्मूलन सुधार योजनाओं को छोड़कर.

भाग दो—गृह निर्माण

1. राज्य की नगरीय गृह निर्माण नीति से संबंधित समस्त विषय तथा नगरीय गृह निर्माण योजनाओं का कार्यान्वयन एवं समन्वय.
2. आवास स्थान को भाड़े या उप-भाड़े पर देना जिसमें उसका अर्जन तथा अधिग्रहण सम्मिलित है.
3. कामन पूल के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए निधियों का आवंटन तथा प्रशासकीय अनुमोदन.

भाग तीन

1. राजधानी परियोजना तथा उसके प्रशासन से संबंधित समस्त विषय.”.
- (दो) भाग (आ) में, शीर्षक—विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियमों और नियमों के अधीन अनुक्रमांक 11 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—
- “12. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973).
 13. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (केन्द्रीय अधिनियम, 1974 का 6).
 14. मध्यप्रदेश आवास नियंत्रण अधिनियम, 1961 (क्रमांक 41 सन् 1961).
 15. जल (प्रदूषण निरोध तथा नियंत्रण) उप-कर अधिनियम, 1977 (केन्द्रीय अधिनियम, 1977 का 3).
 16. मध्यप्रदेश भूमि उपयोग विनियमन अधिनियम, 1948.
 17. मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972 (क्रमांक 3 सन् 1973).
 18. मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, 1976 (क्रमांक 17 सन् 1976).

19. मध्यप्रदेश नगर तथा परिमा नियंत्रण अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1960).
20. मध्यप्रदेश अर्जन अधिनियम, 1948.
21. अचल संपत्ति (अधिग्रहण तथा अर्जन) अधिनियम, 1952.
22. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012.
23. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975.'.

(तीन) भाग (इ) में, शीर्षक "विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय" के अधीन अनुक्रमांक 1 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

- “2. नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय.
3. पर्यावरण आयुक्त कार्यालय.
4. नगरीय परियोजना संचालनालय.
5. राजधानी परियोजना प्रशासन.'.

(चार) भाग (ई) में, शीर्षक "अधिनियम के अधीन गठित मण्डल तथा निगम" के अधीन अनुक्रमांक 4 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

- “5. समस्त नगर विकास प्राधिकरण तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण.
6. मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल.
7. पर्यावरणात्मक तथा समन्वयन संगठन.
8. मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ.
9. मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल.
10. राज्य कर्मचारी आवास निगम.'.

(पांच) भाग (ऊ) में, शब्द "कुछ नहीं" के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

- “1. नगर तथा ग्राम निवेश तृतीय श्रेणी लिपिकवर्गीय तथा अलिपिकीयवर्गीय सेवा नियम, 1972.
2. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश योजना राजपत्रित (प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 1977.
3. मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण सेवा (अधिकारी तथा सेवक) भर्ती नियम, 1988.'.

(3) शीर्षक "दो-गृह विभाग" के अधीन, भाग (ई) में, शब्द "कुछ नहीं" के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

- “1. आपदा प्रबंध संस्थान.'.

(4) शीर्षक "बत्तीस—आवास और पर्यावरण विभाग" तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2014

क्र. एफ ए 1-8-2014-एक(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 1-8-2014-एक-(1), दिनांक 15 जुलाई 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 15th July 2014

No. F A 1-8-2014-one (1).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 2,—

- (1) For the existing heading "XVIII" and entries relating thereto, the following heading and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

"XVIII- URBAN DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT"

- (2) Serial number "XXXII-HOUSING AND ENVIRONMENT" shall be omitted;

2. In the Schedule,—

- (1) For the existing heading "XVIII-URBAN ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT DEPARTMENT" and entries relating thereto, the following heading and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

"XVIII- URBAN DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT DEPARTMENT"

- (2) Under the heading "XVIII- URBAN DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT DEPARTMENT",—
- (i) In part (A), under the heading-matters of Policy dealt within the Department, after serial number 1, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

"1-A. Matters of Policy dealt within the Department expect implementation of Madhya Pradesh Nagriya Kshetron ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1984 (No. 34 of 1984) including monitoring the progress of distribution of lease documents, progress of slum clearance and improvement schemes under implementation by various agencies, consequential amendment of Urban Master Plan and any other activities relating thereto—

PART I—ENVIRONMENT

1. State Environment Policy and Environmental Planning : all subjects connected with safeguard, preservation and Co-ordinated development.

2. Town and Country Planning.
3. Architecture.
4. All types of pollution and their prevention.
5. Urban Development excluding Slum Clearance Improvement Scheme.

PART II—HOUSING

1. All subject concerning State Policy of urban housing and implementation and Co-ordination of urban housing schemes.
2. Letting or subletting of accommodation which includes acquisition and requisition thereof.
3. Allotment of funds and administrative approval to the construction of residential buildings belonging to the common pool.

PART III

1. All subject matters relating to Capital Project and its administration.".
- (ii) In part (B), under the heading-Act and Rules administered by the Department, after serial number 11, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

- "12. The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973 (No. 23 of 1973).
13. Water (Prevention and Control of Pollution) Act,1974 (Central Act 6 of 1974).
14. The Madhya Pradesh Accommodation Control Act,1961 (No. 41 of 1961).
15. The Water (Prevention and Control Pollution) Cess Act,1977 (Central Act 36 of 1977).
16. The Madhya Pradesh Regulation of Uses of Land Act,1948 .
17. The Madhya Pradesh Grih Nirman Avam Adhosanrachana Vikas Mandal Adhinyam, 1972 (No.3 of 1973).
18. The Madhya Pradesh Prakoshtha Swamitva Adhinyam, 1976 (No. 17 of 1976) .
19. The Madhya Pradesh Town Periphery Control Act, 1960 (No. 17 of 1960) .
20. The Madhya Pradesh Acquisition Act, 1948.
21. Achal Sampatti (Adhigrahan Tatha Arjan) Adhinyam, 1952.
22. The Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 2012.
23. The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Niyam, 1975.".

- (iii) In part (C), under the heading "Directorates and Offices coming under the Department" after serial number 1, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

- "2. Directorate of Town and Country Planning.
3. Office of Environment Commissioner.
4. Directorate of Urban Projects.
5. Capital Project Administration.".

- (iv) In part (D), after serial number 4, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—
- "5. All Town Development Authorities and Special Area Development Authorities.
 6. Madhya Pradesh Pradushan Nivaran Mandal.
 7. Environment Planning and Co-ordination Organisation.
 8. Madhya Pradesh Vikas Pradhikaran Sangh.
 9. Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board.
 10. Rajya Karmachari Aavas Nigam."
- (v) In part (F), for the word "Nil" the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely :—
- "1. Town and Country Planning Class III Ministerial and Non-Ministerial Service Rules, 1972.
 2. Madhya Pradesh Town and Country Planning Gazetted (Class I and II) Service Recruitment Rules, 1977.
 3. Madhya Pradesh Vikas Pradhikaran Seva (Adhikari Tatha Sevak) Bharti Niyam, 1988."
- (3) Under the heading "II-HOME DEPARTMENT" In part (D), for the word "Nil" the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—
- " 1. Disaster Management Instiute."
- (4) Heading" XXXII-HOUSING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT" and entries relating thereto shall be omitted;".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. R. VISHWAKARMA, Dy. Secy.